न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
42 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	21.06.2019	02.09.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री विमल चन्द जैन पुत्र स्व. श्री देवीलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नमोकार किराणा स्टोर बस स्टैण्ड धुवॉकला तह. दूनी जिला टोंक राज. निवासी बस स्टैण्ड धुवॉकला तह. दूनी जिला टोंक

2– मैसर्स नमोकार किराणा स्टोर बस स्टैण्ड धुवॉकला तह. दूनी जिला टोंक राज.

3–श्री टीकम चन्द प्रोपरायटर मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज.

4– मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज.

5–श्री अनिल खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स देव मार्केटिंग जी–18, रिद्वी सिद्वी कॉम्प्लेक्स बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग जयपुर राज.

6– मैसर्स देव मार्केटिंग जी–18, रिद्वी सिद्वी कॉम्प्लेक्स बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग जयपुर राज.

7–श्री भरत कुमार पुत्र श्री गोर्वधन दास निवासी 11 / 622, मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर नॉमिनी मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ–196 / 199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर

8– मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ–196 / 199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 02.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2018 को समय 4.32 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स नमोकार किराणा स्टोर बस स्टैण्ड धुवॉकला तह. दूनी जिला टोंक राज.पर [illegible] की हैसियत से विमल चन्द जैन पुत्र स्व. श्री देवीलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नमोकार किराणा स्टोर बस स्टैण्ड धुवॉकला तह. दूनी जिला टोंक राज. निवासी बस स्टैण्ड धुवॉकला तह. दूनी जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिले, [illegible] परिचय पत्र [illegible] तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 16:02:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **नमकीन बीकाजी कुछ–कुछ ऑल इन वन ब्राण्ड** (Namkeen Bikaji Kuch– Kuch All in One)जिसके बैच नं0 18 जे 9826 व पैकिंग दिनांक 1 अक्टूबर 2018 अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री विमल चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता विमल चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 500–500 ग्राम के 9 पेकेट **नमकीन बीकाजी कुछ–कुछ ऑल इन वन ब्राण्ड** (Namkeen Bikaji Kuch– Kuch All in One)रखे हुये मे से 500–500 ग्राम के 4 पैकेट का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विकता. श्री विमल चन्द जैन को रू0 320/–अक्षरे तीन सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **नमकीन बीकाजी कुछ–कुछ ऑल इन वन ब्राण्ड** (Namkeen Bikaji Kuch– Kuch All in One)2 किलोग्राम को 500–500 ग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 500 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बे मे अलग–अलग ज्यो का त्यो रखकर डिब्बो के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1996 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1996 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. विमल कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री विमल चन्द जैन ने मौके पर **नमकीन बीकाजी कुछ–कुछ ऑल इन वन ब्राण्ड** (Namkeen Bikaji Kuch– Kuch All in One)बतोर वारंटी मैसर्स [illegible] बाजार देवली जिला टोंक राज. का बिल क्रमांक 1941 दिंनाक 28.10.2018 [illegible] पेश की। मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार से पत्राचार करने पर [illegible] जी–18, रिद्वी सिद्वी कॉम्प्लेक्स बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग जयपुर राज. का बिल [illegible] 9876 दिनांक 22.10.2018 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 16:02:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

छायाप्रति पेश की। मैसर्स देव मार्केटिंग से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ–196/199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर का बिल क्रमांक एसआईयु 1 एन–1819–07721 दिनांक 13.10.2018 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/118 दिनांक 11.01.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1852/एक्ट/2018/544 दिनांक 18.12.2018 अनुसार विमल चन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **नमकीन बीकाजी कुछ–कुछ ऑल इन वन ब्राण्ड** (Namkeen Bikaji Kuch– Kuch All in One) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2(ii) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **नमकीन बीकाजी कुछ–कुछ ऑल इन वन ब्राण्ड** (Namkeen Bikaji Kuch– Kuch All in One)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 7 व 8 अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की और से **नमकीन बीकाजी कुछ–कुछ ऑल इन वन ब्राण्ड** (Namkeen Bikaji Kuch– Kuch All in One) का एरिया सेल्स मैनेजर उपस्थित हुआ। मेनेजर द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **नमकीन बीकाजी कुछ–कुछ ऑल इन वन ब्राण्ड** (Namkeen Bikaji Kuch– Kuch All in One)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन बीकाजी कुछ–कुछ ऑल इन वन ब्राण्ड** (Namkeen Bikaji Kuch– Kuch All in One)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:02:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी श्री विमल चन्द जैन पुत्र स्व. श्री देवीलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नमोकार किराणा स्टोर बस स्टैण्ड धुवाँकला तह. दूनी जिला टोंक राज. निवासी बस स्टैण्ड धुवाँकला तह. दूनी जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0)अप्रार्थी श्री टीकम चन्द प्रोपरायटर मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज.पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री अनिल खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स देव मार्केटिंग जी–18, रिद्धी सिद्धी कॉम्प्लेक्स बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग जयपुर राज.पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री भरत कुमार पुत्र श्री गोर्धन दास निवासी 11/622, मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर नॉमिनी मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ–196/199, बिछवल इण्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय मे अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

2.9.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:02:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner